



F-07-08  
F-07-11

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बैंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.,  
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1586 का संशोधन सहित नवीकरण/

### Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1586

**विषय/Sub:** सब-सिस्टम: मास्टर एलार्म लैंप (फ्लैशर) यूनिट पार्ट सं. 2790/26 - एनवीआईएस सहित  
सेंट्रलाइस्ड वार्निंग सिस्टम (सीडब्ल्यूएस), पार्ट सं. 2790/जीए एम ओ डी - 2

### Centralised Warning System (CWS), Part No. 2790/GA MOD-2 along with Sub-System: Master Alarm Lamp (Flasher) Unit, Part No. 2790/26 - NVIS

यह घोषित किया जाता है कि एल आर डी ई, डी आर डी ओ, बैंगलूरु - 560 093 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद - 500 042, द्वारा उत्पादित सब-सिस्टम: मास्टर एलार्म लैंप (फ्लैशर) यूनिट पार्ट सं. 2790/26 - एनवीआईएस सहित "सेंट्रलाइस्ड वार्निंग सिस्टम (सीडब्ल्यूएस)" पार्ट सं. 2790/जीए एमओडी-2, रिविजन-सी को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1586, दिनांक 09 दिसंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1586 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1586/2ए, दिनांक 19 दिसंबर 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

*This is to state that the "Centralised Warning System (CWS)" bearing the Part No. 2790/GA, MOD-2, Rev - 'C' along with Sub-System: Master Alarm Lamp (Flasher) unit bearing Part No. 2790/26 - NVIS, Designed, Developed by LRDE, DRDO, Bengaluru - 560 093 and Manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Ltd., Avionics Division, Balanagar, Hyderabad - 500 042, was issued with Type Approval No. 1586 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1586, Dated: 09<sup>th</sup> December 2010, and was subsequently issued Addendum vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1586/2A, Dated: 19<sup>th</sup> December 2013 which was valid upto 31<sup>st</sup> December 2015.*

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1586 और उसके परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा /

*The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1586 and its Appendix 'A'.*

<i>Wherever/ For</i>	<i>Read as</i>
MDI Doc. No. 2790DL, Issue No. 10, Dated: 08 <sup>th</sup> February 2013	MDI Doc. No. 2790DL, Issue No. 11, Dated: 25 <sup>th</sup> March 2015

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.ए(हैदराबाद), द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), हैदराबाद- 500 042, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid upto 31<sup>st</sup> December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), C/o Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Hyderabad - 500 042, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1586/2A/1R

दिनांक/Date : 16 January 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

*Rajiv  
18/01/16*

  
पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)